न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 418 / 2024

अनवान : –

1. भगवानाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. जयप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. गौरीशंकर पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 207 / 200 के खसरा नं. 422 की कुल तादादी 4.2500 है0 भूमि वादी का 1012 / 2125 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 101 / 2125 हिस्सा दर्ज है व खाता संख्या 531 / 207 के खसरा नं. 421 की कुल तादादी 11.3090 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 9108 / 56545 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 4459 / 56545 हिस्सा दर्ज है एवं खाता संख्या 13 / 13 के खसरा नं. 487 / 3 की कुल तादादी 2.3530 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 122 / 123 के खसरा नं. 111 की कुल तादादी 6.1350 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि बाबत समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 207 / 200 के खसरा नं. 422 की कुल तादादी 4.2500 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 101 / 2125 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है तथा खाता संख्या 531 / 207 के खसरा नं. 421 की कुल तादादी 11.3090 है0 भूमि में वादी अकेला काबिज है एवं खाता संख्या 13 / 13 के खसरा नं. 487 / 3 की कुल तादादी 2.3530 है0 भूमि पर वादी अकेला काबिज है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 122 / 123 के खसरा नं. 111 की कुल तादादी 6.1350 है0 भूमि में 2 / 3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा 1 / 3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि बाबत समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 207/200 के खसरा नं. 422 की कुल तादादी 4.2500 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 101/2125 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है तथा खाता संख्या 531/207 के खसरा नं. 421 की कुल तादादी 11.3090 है0 भूमि में वादी अकेला काबिज है एवं खाता संख्या 13/13 के खसरा नं. 487/3 की कुल तादादी 2.3530 है0 भूमि पर वादी अकेला काबिज है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 122/123 के खसरा नं. 111 की कुल तादादी 6.1350 है0 भूमि में 2/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं शेष 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने [illegible]ाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हितों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:19 IST
Reason: SelfAttested

Q.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 207/200 के खसरा नं. 422 की कुल तादादी 4.2500 है0 भूमि वादी का 1012/2125 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 101/2125 हिस्सा दर्ज है व खाता संख्या 531/207 के खसरा नं. 421 की कुल तादादी 11.3090 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 9108/56545 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 4459/56545 हिस्सा दर्ज है एवं खाता संख्या 13/13 के खसरा नं. 487/3 की कुल तादादी 2.3530 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 122/123 के खसरा नं. 111 की कुल तादादी 6.1350 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि बाबत समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 207/200 के खसरा नं. 422 की कुल तादादी 4.2500 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 101/2125 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है तथा खाता संख्या 531/207 के खसरा नं. 421 की कुल तादादी 11.3090 है0 भूमि में वादी अकेला काबिज है एवं खाता संख्या 13/13 के खसरा नं. 487/3 की कुल तादादी 2.3530 है0 भूमि पर वादी अकेला काबिज है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 122/123 के खसरा नं. 111 की कुल तादादी 6.1350 है0 भूमि में 2/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं शेष 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 207/200 के खसरा नं. 422 की कुल तादादी 4.2500 है0 भूमि में से 101/2125 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 531/207 के खसरा नं. 421 की कुल तादादी 11.3090 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 13/13 के खसरा नं. 487/3 की कुल तादादी 2.3530 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 122/123 के खसरा नं. 111 की कुल तादादी 6.1350 है0 भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का नाम कलमजन किया जाकर 2/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 418/2024
अनवान : –

1. भगवानाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. जयप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. गौरीशंकर पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 418 सन 2024 निर्णय दिनांक -07/6/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 207/200 के खसरा नं. 422 की कुल तादादी 4.2500 है0 भूमि में से 101/2125 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 531/207 के खसरा नं. 421 की कुल तादादी 11.3090 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 13/13 के खसरानं. 487/3 की कुल तादादी 2.3530 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 122/123 के खसरा नं. 111 की कुल तादादी 6.1350 है0 भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर 2/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:19 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर